पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''और मेरे बन्दों से कह दीजिये कि वह बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें क्योंकि शैतान आपस में फ़सादा डलवाता है बेशक शैतान इन्सान का खुला दुश्मन है।'' (सूरे बनी इस्राईल आयत न० ५३)

मजलिस के शिष्टाचार

मुहम्मद अजहर मदनी

अबू वाक़िद अल-लैसी (रज़ियल्लाहो अन्हो) ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) मस्जिद में बैठे थे और लोग उनके चारों ओर बैठे थे कि तीन आदमी वहाँ आए। उनमें से दो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) के सामने पहुँचे और एक वापस चला गया। फिर वे दोनों अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) के सामने खड़े हो गए। फिर उनमें से एक ने सभा में थोड़ी जगह ढूँढ़ी और वहाँ बैठ गया, दूसरा सभा के लोगों के पीछे बैठ गया, और तीसरा वापस चला गया। जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) ने (अपना बात समाप्त किया) तो उन्होंने कहाः क्या मैं तुम्हें तीन आदमियों के बारे में न बताऊँ?(सुनो) उनमें से एक ने अल्लाह से पनाह माँगी और अल्लाह ने उसे पनाह दी, और दूसरा शर्मिंदा हुआ और अल्लाह उन से भी शर्मिंदा हुआ (और उसे माफ कर दिया) और तीसरा व्यक्ति दूर हो गया और अल्लाह (भी) उससे दूर हो गया। (सहीह बुखारी) यह हदीस सभा और मजलिस के शिष्टाचार की अहमियत बताती है और यह भी बताती है कि ऐसी जमाअत में शामिल होना चाहिए जहां इंसानियत की भलाई के बारे में बात की जा रही हो और जमाअत के शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में ज्यादातर लोग जमाअत व मजलिस के शिष्टाचार को भूल जाते हैं। देखा जाता है कि जमाअत में एक-दूसरे का ख्याल रखने के बजाय लोग एक-दूसरे की परेशानी का सबब बनते हैं। इसी तरह यह भी चलन है कि लोग गैरजरूरी जमाअत में बड़ी दिलचस्पी और लगाव के साथ शामिल होते हैं और उनमें भीड़ भी खूब होती है, लेकिन धार्मिक जमाअत व सभा में शामिल होने से बचते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल के कलाम और इंसान की भलाई और आखिरत में निजात के बारे में चर्चा होती है। और अगर वे जाते भी हैं तो मजलिस व जमाअत के शिष्टाचार पर ध्यान नहीं देते। उपरोक्त हदीस में जमात के शिष्टाचार पर ध्यान देने और धार्मिक सभा में शामिल होने की तर्गीब दी गई है। सभा व जमाअत के शिष्टाचार पर ध्यान देने पर जोर दिया गया है, जैसा कि पवित्र कुरआन में हुक्म दिया गया है। (अल-मुजादिलाः ११) अन्य रिवायतें भी सभाओं के शिष्टाचार का पालन करने के महत्व पर जोर देती हैं। एक रिवायत में, पैगंबर (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) ने कहा तुममें से जो परिपक्व और समझदार हैं, उन्हें मेरे पास खड़ा होना चाहिए। (अबू दाऊद, हदीसः ६७४) और आयशा सिद्दीका (रज़ियल्लाहो अन्हा) से वर्णित है कि लोगों को उनके पद और स्थिति के अनुसार बैठाओ। (अबू दाऊद) मजलिस के तौर-तरीकों में से यह भी है कि किसी को बिना वजह उसकी जगह से न हटाया जाए, क्योंकि नबी करीम (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) ने इसकी मनाही की है। सहीह मुस्लिम की रिवायत में है। कोई किसी को उसकी जगह से उठाकर उसकी जगह पर न बैठाए।" (मुस्लिम, पृष्ठ ९२३, हदीसः ५६८३) एक दूसरी रिवायत में अब्दुल्लाह बिन उमर (रजियल्लाहू अन्हू) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) ने किसी को उसकी जगह से उठाकर उसकी जगह पर बैठाने से मना किया है, बल्कि उसे दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए। (बुखारी) अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमें मजलिसों के तौर-तरीकों का पालन करने और धार्मिक सभाओं और जलसों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए।

मासिक

इसलाहे समाज

जून 2025 वर्ष 36 अंक 6

ज़िल हिज्जा 1446 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. मजलिस के शिष्टाचार 02
2. इस्लाम ने अत्याचार और फ़साद को हराम करार दिया है 04
3. शैतान इन्सान का खुला दुश्मन 06
4. पैग़म्बर मुहम्मद स० के व्यवहार 08
5. इस्लाम ने अम्न व शान्ति फैलाने का हुक्म दिया है 11
6. माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म 13
7. ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स० की शिक्षाएं 17
8. इस्लाम का सुधारात्मक ढंग 20
9. उर्दू भाषा के प्रति प्रेम और लगाव का व्यवहारिक इज़हार भी होना चाहिए 23
10. जमाअती ख़बरें 25
11. प्रेस रिलीज़ 27
12. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

इस्लाम ने अत्याचार और फ़साद को हराम क़रार दिया है

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

यह सर्वमान्य है कि इस्लाम सरासर अम्न व शान्ति और सुलह व आश्ती का बेमिसाल मुमक्मल दीन है। इसमें न्याय, समता, भलाई, मानवता और हर तरह की हमदर्दी और एक दूसरों के दुख दर्द को साझा करने की शिक्षा दी गई है और इन सब चीज़ों को दीन व ईमान की धुरी ठेहराया गया है बल्कि इनको इन्सान के मर्तबा और स्थान की कसौटी क़रार दिया गया है। एक ही सृष्टा व स्वामी की मर्जी की ख़ातिर सभी भावनाएं, निय्यतें, सेवाएं, शहवात, लज़्ज़तों और शौक को पूर्ण रूप से अल्लाह की मर्जी के अनुसार कर देने का नाम ईमान और मुसलमान है। वह एक सर जो अपने वास्तविक स्वामी के आगे झुकता है और उसके आदेशों का पालन करता है और अल्लाह के सिवा को इनकार करता है, हकीकत में ऐसा इन्सान ईमान व इस्लाम और संसार का रहस्य पा जाता है। एक को मानने का मतलब यह हुआ कि वह अनेकेवश्वरवाद से अपना रिश्ता ख़तम करके एक स्वामी व आक़ा, दाता, नफ़ा पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले और सजा व बदले का मालिक सिर्फ अल्लाह को मान कर किसी भी सृष्टि से न लालच रखता है ओर न डरता है बल्कि वह अपनी चाहतों, मुहब्बतों, नफ़रतों, सारी उमंगों, ख़ुवाहिशों, आरजुओं, इबादतों का केन्द्र व धुरी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला को जानता है और जब ऐसा होता है तो फिर वह अपनी मर्जी, दिलचस्पी और नफा व नुक़्सान निजी तौर पर कुछ नहीं रखता बल्कि मुकम्मल तौर पर अल्लाह के रंग में रंग जाता है और जो अल्लाह के संग को अपनाए उससे बेहतर रंग किस का हो सकता है।

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला कहता है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की तो उसके खिलाफ़ मेरी तरफ से एलाने जंग है और मेरा बन्दा जिन जिन इबादतों से मेरी सामीप्ता हासिल करता है और कोई इबादत मुझ को इससे ज़्यादा पसन्द नहीं है जो मैंने उस पर फर्ज की है (यानी फराइज़ मुझ को बहुत पसन्द हैं जैसे नमाज़ रोज़ा हज ज़कात) और मेरा बन्दा फर्ज़ अदा करने के बाद नफ़्ल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मुहब्बत करने लग जाता हूं फिर जब मैं उससे मुहब्बत करने लग जाता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वह सुनता है उसकी

आंख बन जाता हूं जिससे वह देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वह पकड़ता है, उसका पांव बन जाता हूं जिससे वह चलता है और अगर वह मुझ से मांगता है तो मैं उसे देता हूं अगर वह किसी दुश्मन और शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे महफ़ूज़ रखता हूं और मैं जो काम करना चाहता हूं उसमें मुझे उतना संकोच नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बन्दे की जान निकालने में होता है वह तो मौत को शारीरिक दुख की वजह से पसन्द नहीं करता और मुझको भी उसे तकलीफ़ देना बुरा लगता है। (सहीह बुखारी)

जिस इन्सान की यह शान हो जाए भला बताओ कि वह कभी भी उस दयावान अल्लाह की सृष्टि और उसकी मामूली से मामूली पैदा की गई सृष्टि और संसार में फसाद बरपा कर सकता है, अल्लाह की हिकमत, मुहब्बत और चाहत के खिलाफ कुछ कर सकता है बल्कि वह कण कण का हक़ अदा करेगा कि उसके रब की पैदा की गई जान है, जानदार है, वनस्पति है, निर्जीव है चाहे वह खुश्की में हो या तरी में या फिज़ाओं में या हवाओं में उसे क्योंकर विषैला कर सकता है। वह मामूली तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता वह अक़्ल का मालिक दर्दमन्द दिल, चिंतित दिल का मालिक इन्सान अपने भाई, कुंबा व क़बीला, चहचान और एहतराम व महबूब होने और गले लगाने के लिये बनाये गये हैं इनसे रंग व नस्ल के नाम पर क्यों कर भेद रखे गा वह किसी का अपमान करने के बारे में क्यों कर सोच सकता है क्या वह इतना गिरा हुआ है कि अपने सब से बड़े उपकारक को ही ऐबदार बना जायेगा और उसकी कारीगरी में ऐब तलाश करेगा। क्या किसी को नाटा कह देना, फिर गोरे काले का ताना देना, रंग व नस्ल और राष्ट्र व भूगोल के नाम पर बुरा कहना और दुश्मनी रखना यहां तक कि उसको नुक़सान पहुंचाना और क़त्ल कर देना क्या एक ईमानदार के लिये और इस्लाम और अल्लाह के नाम लेने वालों के लिये गवारा हो सकता है? इस लिये इस्लाम ने अत्याचार फसाद और खूंरेजी को हराम क़रार दिया है। खेती बाड़ी व जान की सुरक्षा के लिये कड़े कानून बनाये और एक दूसरे से दिफा करने और बिना किसी मामूली अत्याचार के समान रूप से अर्थात जुर्म के बराबर ही बदला लेने की इजाज़त दी बल्कि हो सके तो मआफ़ कर देने को बेहतर बताया। अगर इन्साफ का तराजू काइम न करना होता तो वह शायद मआफ व सब्र करने को मर्दानगी और संकल्प व हिम्मत के उच्च कामों में शुमार करने के साथ इसे फर्ज़ ही कर देता। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः और जो शख्स सब्र कर ले और मआफ़ कर दे यक़ीनन यह बड़ी हिम्मत के कामों में से है। (सूरे शूराः ४३)

फरमाया ''अगर तुम सब्र कर लो और परहेज़गारी अपनाओं तो यक़ीनन यह बड़ी हिम्मत के कामों में से है।'' (सूरे आले इमरानः१८६)

शैतान इन्सान का खुला दुश्मन

डा० प्रोफेसर मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

शैतान का अर्थ है दुष्टात्मा, जो लोगों को बहका कर कुमार्ग पर चलाता है। यह कोई स्थायी जीव नहीं है। बल्कि मनुष्यों और जिन्नों में जो दुष्टात्मा लोग हैं, उन्हीं को शैतान कहा गया है- कुरआन में आया है-

''इसी तरह हमने मनुष्यों तथा जिन्नों में से शैतानों को प्रत्येक नबी का शत्रु बनाया, जो चिकनी-चुपड़ी बात एक-दूसरे के मन में डाल कर धोखा देते थे।'' (सूरे-६, अल-अन्आम, आयात-११२)

शैतान तथा मनुष्य में क्या संबंध है? इस विषय में कुरआन तथा सहीह हदीसों में विस्तृत वर्णन आया है। (सूरे-२, अल-बकरा, आयतें-१६८-२०८)

१. शैतान मनुष्य का खुला दुश्मन है इस लिये कुरआन ने चेतावनी दी है कि उसके पदचिन्हों का अनुसरण न किया जाये। (सूरा-२ अलबक़रा, आयत १६८-२०८)

''तो वह (शैतान) तो उसे अश्लीलता तथा बुराई का ही आदेश देगा।'' (सूरा-२४, अन-नूर, आयत-२१)

२. शैतान जहन्नम की आग की ओर बुलाता है-

''निश्चय ही शैतान तुम्हारा शत्रु है। अतः तुम भी उसे शत्रु ही समझो। वह तो अपने अनुयायियों को बुलाता है ताकि वे दहकती आग (जहन्नम) वालों में से हो जाएं'' (सूरा-३५, फ़ातिर, आयत-६)

३. शैतान के कुछ कामः हर बुरे काम को शैतानी काम कहा जा सकता है। जैसेः मदिरा पान, जुआ, इत्यादि। कुरआन में है-

''ऐ ईमान वालो! यह मदिरा, जुआ, तथा पासे शैतान के गन्दे काम हैं तो इनसे बचो ताकि तुम सफल हो सको'' (सूरा-५, अल-माइदा, आयत-९०)

शैतान निर्धनता से डराता है ताकि तुम अल्लाह के मार्ग में दान न करो, और गन्दे कामों का आदेश देता है-

''शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है, तथा निर्लज्जता के कामों पर उकसाता है'' (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-२६८)

शैतान कुफ़्र करने पर उभारता है, और फिर स्वयं दूर हट जाता है।

''मुनाफ़िक़ों की मिसाल शैतान जैसी है, जो मनुष्य से कहता है कि कुफ़्र कर, जब वह कुफ़्र कर बैठता है तो कहता है, ''मैं तुझ से अलग हूँ। मैं अल्लाह से डरता हूँ, जो सारे संसार का रब है।'' (सूरा-५९, अल-हश्र, आयत-१६)

शैतान जिस प्रकार मुसलमानों को बहकाता है, उसी प्रकार विधर्मियों को भी बहकाता है, और उनको भी धोखा देता है। बद्र के अवसर पर ऐसा ही तो हुआ, जिसको कुरआन ने इस प्रकार वर्णन किया है-

''जब शैतान ने उनके करतूतों को उनके लिए शोभायमान बना दिया था, और कहा था कि आज लोगों मेंसे कोई भी तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारे निकट हूं। जब दोनों दलों का आमना-सामना हुआ तो वह उलटे

पांव भाग निकला और कहने लगा, ''मेरा तुम से कोई नाता नहीं। मैं जो कुछ देख रहा हूं तुम नहीं देख सकते। मैं अल्लाह से डरता हूँ। और अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है।'' (सूरा-८, अल-अन्फ़ाल, आयत-४७)

शैतान ने मक्का के इस्लाम-विरोधियों को पहले तो मुसलमानों के विरूद्ध लड़ने पर उभारा। परन्तु जब उसने देखा कि आकाश से फ़रिश्ते उतर रहे हैं ताकि मुसलमानों की सहायता करें, जिसका वर्णन कुरआन में हुआ है, तो वह भाग खड़ा हुआ। और विधार्मियों को युद्ध क्षेत्र में तनहा छोड़ दिया। उनको यह भी नहीं बताया कि आकाश से फ़रिश्ते उतर रहे हैं, ताकि वे मैदान छोड़कर चले जाएं और अपना जीवन बचा लें। बल्कि वह तो उनको युद्ध क्षेत्र में मरते हुए देखकर भाग निकला।

इब्ने अब्बास की एक रिवायत में आया है कि एक मुसलमान एक विधर्मी का पीछा कर रहा था कि उसने कोड़े की आवाज़ सुनी फिर घोड़े के टाप की आवाज़ सुनी, फिर सुना कोई चैजूम-चैजूम कह रहा है (हो सकता है यह घोड़े का नाम हो) फिर मुसलमानों ने देखा कि वह विधर्मी पृथ्वी पर गिरा पड़ा है। उसने यह वृत्तांत नबी स० को सुनाया तो आप स० ने फ़रमाया, ''तुम सच कहते हो, फ़रिश्ते तीसरे आकाश से सहायता के लिए आए थे।'' (सहीह मुस्लिम)

शैतान का एक बड़ा काम यह भी है कि वह मनुष्य को अल्लाह के विषय में भ्रम में डाल देता है। जैसा कि अबू-हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो की एक रिवायत में आया है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फ़रमान है।

''तुम में से किसी के पास शैतान आए और यह कहे कि इसको किसने पैदा किया? इसको किसने पैदा किया? इसको किसने पैदा किया? यहाँ तक कि यह कहे कि तुम्हारे रब को किसने पैदा किया? तो उसको चाहिए कि अल्लाह से शरण मांगे, और फिर बार-बार शरण मांगता रहे।'' (सहीह बुखारी : ३२७६)

शैतान से बचने के लिए अनिवार्य है कि मुसलमान हर समय उससे अल्लाह की शरण माँगे। कुरआन में इसी की ओर संकेत किया गया है-

''कहो, ''मैं शरण लेता हूँ लोगों के रब की, लोगों के सम्राट की, लोगों के इलाह (उपास्य) की उसकी बुराई से जो वसवसा डालता है, जो जिन्नों में से भी होता है और मनुष्यों में से भी।'' (सूरा-११४, अन-नास, आयतें-१-६)

इसकी पुष्टि एक सहीह हदीस से भी होती है। अबू ज़र रजियल्लाहो अन्हो ने इसका वर्णन किया है वे कहते हैं:

''मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में आया, और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली? मैंने कहा, नहीं, तो आप ने फ़रमाया, जाओ पहले नमाज़ पढ़ो। जब नमाज़ पढ़कर आया तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ अबू ज़र, मनुष्यों और जिन्नों में जो शैतान हैं उनसे अल्लाह की शरण मांगो। मैंने कहा, क्या मनुष्यों में भी शैतान होते हैं? आप ने फ़रमाया, हाँ,'' (मुसनद अहमद ५:२५८)

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के व्यवहार और चरित्र

एक बार किसी ने आइशा (मुहम्मद स० की बीवी) से पूछा कि मुहम्मद स० के आचरण एवं चरित्र कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ कुरआन में है वही उनके आचरण (अखलाक) थे। कुरआन में अल्लाह ने मुहम्मस स० के बारे में संसार वालों को बताया कि ऐ मुहम्मद आप अखलाक के ऊंचे मक़ाम पर हैं। यहाँ पर यह लिखना भाइदे से खाली नहीं होगा कि दुनिया में बहुत सारे संदेष्टा गुजरे हैं लेकिन जितनी किताबें मुहम्मद के जीवन पर लिखी गयी हैं उतनी किसी भी संदेष्टा पर नहीं लिखी गयी हैं।

आप स० लोगों को हमेशा यतीमों के साथ भलाई और उनसे मुहब्बत करने का उपदेश देते थे। एक मौक़े पर मुहम्मद स० ने फरमायाः मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वह है जिसमें किसी अनाथ (यतीम) बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा हो, और सबसे खराब घर वह है जिसमें किसी अनाथ बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो।

आपकी चहेती बेटी फातिमा ने अपने घरूलू काम के बोझ को कम करने के लिये अपने पिता मुहम्मद स० से एक सेविका (खादिमा) के लिये अनुरोध किया। इस पर मुहम्मद स० ने जवाब दिया कि ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा सुफ्फा के गरीबों का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है, ऐसी हालत में तुम्हारी मांग को कैसे पूरी करूं? मुहम्मद स० अपनों का ख्याल रखने के साथ समाज के दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते थे।

आप अत्यंत मिलनसार, मेहरबान और दयालु थे, छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंक, गरीब या अमीर, सबसे मुहब्बत से पेश आते थे, निहायत दर्यादिल और दूसरों की जरूरत को पूरी करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं करते थे, जिंदगी भर किसी के मांगने पर इंकार नहीं किया खुद तो भूखे रह जाते और दूसरों को घर का सामान खिला देते, यहां पर एक वाक्या नकल करना अनुचित नहीं होगा। एक बार एक सहाबी की शादी हुयी उनके पास वलीमा (रिसेप्शन) के लिये कोई सामान नहीं था। मुहम्मद स० ने उस विवाहित (शादीशुदा) आदमी से कहा कि आइशा के पास चले जाओ और उनसे आटे की टोकरी मांग लाओ हालत यह थी कि उस आटे के सिवा घर में कुछ नहीं था। दर्यादिली और दुनियावी माल से बेतअल्लुकी की यह हालत थी कि जब तक घर के सभी सामान को जरूरतमंदों में बांट नहीं देते, आप (मुहम्मद) घर में आराम नहीं करते। एक दफा फिदक के मालदारों ने चार ऊंटों पर अनाज भेजा इसको बेच कर कर्ज चुकाया गया फिर भी कुछ अनाज बच गया मुहम्मद स० ने कहा कि जब तक तमाम अनाज खत्म नहीं हो जायेगा मैं घर में नहीं

जा सकता। रात भर मस्जिद में सोये रहे जब मुहम्मद स० को मालूम हो गया कि पूरा माल बंट चुका है तब घर गये।

अरबों के बारे में मश्हूर है कि वह अपने मेहमानों की आवभगत में किसी तरह की कोई कमी नहीं करते हैं। मुहम्मद स० के पास हर समुदाय के लोग मेहमान की हैसियत से आते थे। आप सब की आवभगत करते। कभी कभार ऐसा होता कि मेहमानों को घर की सारी चीजें खिला देते, बाद में पता चलता कि मेहमानों की आवभगत करते करते घर का सारा असासा (खाने पीने की चीजें) खत्म हो चुकी हैं और अब पूरा घर भूखे सोयेगा।

अगर इस तरह की भावना हमारे समाज में पैदा हो जाये तो हम लोग हर तरह की समस्या का समाधान ढूँढ सकते हैं और इस समय पूरी दुनिया पर आर्थिक संकट का जो बादल छाया हुआ है उसका मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अफसोस और खेद की बात है कि आज हमारे समाज ने रहम दिली (दयालुता) मेहरबानी और सेवा की भावना को भुला कर सख्त दिली और स्वार्थ को अपना लिया है। अल्लाह तआला किसी को दौलत देता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह दौलत केवल उसी के लिये है। दौलत सबके लिये है इस लिये अल्लाह ने जिसको दौलत दे रखी है, उसमें से अपना भी खाये, अपने परिवार की भी देख रेख और समाज के गरीब जरूरत मंदों का भी ख्याल रखे, यही असल मानवता है। दौलत को जमा करके रखना और गरीबों और जरूरतमंदों को उससे महरूम रखना मानवता के विपरीत है। लेकिन जो लोग अपना माल रखकर दूसरों का माल खाने के फिराक़ में रहते हैं वह भी गुनहगार हैं।

> तुम से पहले कौमें इसी लिये बर्बाद हो गयीं कि जब उनमें से कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता और मामूली आदमी जुर्म करता तो उसे सजा दी जाती थी। अल्लाह की सौगन्ध मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उस को भी सजा दी जाती। मुहम्मद स० ने यह कह कर दुनिया वालों पर यह स्पष्ट कर दिया कि कानून सबके लिये बराबर है।

मुहम्मद स० अपने गैर मुस्लिम मेहमानों का भी बड़ा आदर (पासो लिहाज़) और आवभगत करते थे। एक दफा मुहम्मद स० के पास एक गैर मुस्लिम मेहमान पहुंचा, आपने एक बकरी का दूध उसको पिला दिया आपने दूसरी बकरी मंगवाया उसका भी दूध पिला दिया इसी तरह एक के बाद एक सात सात बकरियों का दूध पिला दिया, जब तक उसका पेट नहीं भर गया उसको दूध पिलाते रहे। मुहम्मद स० रात को उठ कर देखते थे कि हमारे यहां जो मेहमान (अतिथि) आया हुआ है उसको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, मुतमइन (संतुष्ट) हो जाने के बाद ही आप स० सोते थे। मतलब यह है कि एक आम इंसान के दुख सुख समझना आपकी आदत में शामिल थी और अपने पैरोकारों का इसका अभ्यस्त

बनाने के लिये हर तरह से जतन किया, परिणाम स्वरूप उस वक्त का पूरा समाज एक दूसरे के दुख सुख का साथी बन गया।

आज पूरी दुनिया में मजदूरों के अधिकार के लिये आवाज़ उठ रही है, उनकी मांगों को पूरी करने के लिये हर तरह से प्रयास किया जा रहा है लेकिन उनकी समस्यायें दिन बदिन बढ़ती जा रही हैं। आये दिन मजदूरों के शोषण और उनको सताने की खबरें आती रहती हैं, इस के अलावा मजदूरों की स्थिति पर रिपोर्ट भी आती रहती है लेकिन स्वार्थ ने लोगों के सही सोचने की ताकत को जकड़ दिया है लेकिन इस्लाम ने १४ सौ साल पहले ''मजदूर को मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो'' कहकर मजदूरों के अधिकार को निर्धारित कर दिया। मुहम्मद स० मजदूरों की समस्याओं को जानने के लिये उनके बीच में जाकर कर स्वंय काम भी करते थे। मुहम्मद स० छोटा बड़ा नहीं देखते थे, आप मिल जुल कर रहने पर विश्वास रखते थे, किसी काम को जल्दी निमटाना होता था तो आप भी काम करने वालों के हाथ बटाते थे। जब मस्जिदे नबवी का निर्माण हो रहा था और खनदक की खोदायी हो रही थी उस वक्त भी आप स० ने बिला झिझक सब मजदूरों के साथ मिल कर काम किया। इस्लाम ने मजदूरों के जो अधिकार बताये हैं अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो यह भी मानवता के खिलाफ है।

आप सारी दुनिया के लिये रहमत दया करूणा बनकर आये, इंसान तो इंसान जानवरों और पक्षियों के साथ भी किसी तरह की कोई ज्यादती और छेड़ छाड़ को गवारा नहीं किया यही वजह है कि आप उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार और रहमदिली का उपदेश और आदेश देते थे, और पहले इन बेजुबानों पर जो जुल्म होता आया था उसको बहुत सलीके से रोक दिया। एक बार किसी ने एक पक्षी (परिंदे) का अण्डा उठा लिया जिससे पक्षी बहुत बेचैन होकर पर मार रही थी। आपने पूछा इस परिंदों काअण्डा किस ने उठा कर उसको दुख पहुंचाया है? अण्डा उठाने वाले ने कहा कि मैंने उठाया है। आप स० ने हुक्म दिया कि उसका अण्डा जहां से उठाया है वहीं पर रख दो। इस का मतलब यह है कि जिस तरह इंसान दया का पात्र है उसी तरह जानवर और परिंदे भी दया और मेहरबानी के पात्र हैं।

आपकी नजर (दृष्टि) में अमीर गरीब, राजा रंक सब बराबर थे, सब पर एक ही तरह का कानून लागू करने के पक्षधर थे, छोटे और बड़े खानदान का कोई अनतर नहीं था बड़ी हैसियत का आदमी जुर्म करे तम भी जुर्म है और छोटी हैसियत का आदमी चोरी करे तब भी जुर्म है। एक बार अरब के बड़े खानदरन की औरत ने चोरी के जुर्म में पकड़ी गयी। लोगों ने उसको सजा से बचाने के लिये मुहम्मद स० के एक करीबी उसामा से सिफारिश करवाई इस पर मुहम्मद स० ने फरमाया तुम से पहले कौमें इसी लिये बर्बाद हो गयीं कि जब उनमें से कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता और मामूली आदमी जुर्म करता तो उसे सजा दी जाती थी। अल्लाह की सौगन्ध मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उस को भी सजा दी जाती। मुहम्मद स० ने यह कह कर दुनिया वालों पर यह स्पष्ट कर दिया कि कानून सबके लिये बराबर है।

नौशाद अहमद

इस्लाम ने अम्न व शान्ति फैलाने का हुक्म दिया है

अबू मुआविया सलफी

असुगम घटनाओं को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है, और इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश की जा रही है, जबकि इस्लाम की शिक्षा है कि किसी भी जानवर को बिना वजह नहीं मारा जाना चाहिए, (अहमद ६५५१), किसी भी जानवर, यहां तक कि किसी पक्षी या जानवर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, (अबू दाऊद ५१०१), किसी भी जानवर पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, (अबू दाऊद २५४९), और किसी भी जानवर को भूखा या प्यासा नहीं रखा जाना चाहिए, (अस-सहीहाः २०), और किसी भी जानवर पर निशाना नहीं लगाया जाना चाहिए, (मुस्लिमः १९५६), और इस्लाम की शिक्षा यहां तक कहती है कि कमजोर जानवरों की सवारी नहीं की जानी चाहिए, (अस-सहीहाः२३), और किसी भी जानवर को कुर्सी समझकर उस पर अनावश्यक रूप से नहीं बैठा जाना चाहिए, (अस-सहीहाः २१), और जानवरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए, और अल्लाह उन लोगों पर दया करेगा जो जानवरों पर दया और करुणा दिखाएगा, (अस-सहीहाः२६) वास्तव में, इस्लाम यह भी सिखाता है कि जानवरों को अच्छी तरह से खिलाने और पानी पिलाने पर भी सवाब है। (बुखारीः ६००९, मुस्लिमः २२४४) इतना ही नहीं, बल्कि इस्लाम ने यहाँ तक घोषणा की है कि जानवरों पर अत्याचार करने, उन्हें मारने और मारने के कारण एक व्यक्ति जहन्नम में चला गया (बुखारीः २३६५, मुस्लिमः २२४२) और इसके विपरीत, एक व्यक्ति जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करके स्वर्ग में प्रवेश कर गया। (बुखारीः ६००९, मुस्लिमः २२४४) ऐ इस्लाम को बदनाम करने वालों, तुम इस्लाम के साथ उन आतंकवादियों को जोड़ते हो जो लोगों की जान लेते हैं और जो उन्हें मारते हैं, जबकि इस्लाम की शिक्षा है कि अपने नाखूनों से किसी जानवर को खरोंच भी न दो, जैसा कि मानवता के हितैषी जनाब मुहम्मद अरबी (स०) ने हुक्म दिया है ऐ लोगों, जानवर का दूध निकालने से पहले अपने नाखून काट लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे नाखून जानवर के थनों को खरोंच दें। (अस-सहीहाः ३१७) क्या जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर जोर देने वाला धर्म इंसान की जान

लेने की इजाजत दे सकता है? बिल्कुल नहीं? आतंकवाद को एक साजिश और योजना के तहत इस्लाम से जोड़ा जाता है, जबकि दुनिया जानती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बेशक, निर्दोष लोगों की हत्या करना आतंकवाद है और हम पहलगाम में जो हुआ उसकी निंदा करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि धर्म के नाम पर हत्या करने वाले आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं में शामिल सभी लोगों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, फाँसी दी जाए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएँ देश की शांति और सुरक्षा को नष्ट करने वाली होती हैं। अंत में, मैं इस धर्म, इस्लाम के बारे में एक और आश्चर्यजनक बात बताकर लेख समाप्त करूँगा। आपने मेटा ए आई नामक एक फंक्शन देखा होगा, जब मैंने उससे पूछा कि क्या इस्लाम आतंकवाद सिखाता है? तो इस मेटा द्वारा दिए गए उत्तर को जानकर आप हैरान रह जाएँगे। मैं इसे ज्यों का त्यों नोट कर रहा हूँ,''नहीं, इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता। इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है जो मानवता, दया और न्याय व एकता का उपदेश देता है। यह कहता है कि आतंकवाद और उत्पीड़न की घटनाएं अक्सर धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी होती हैं। इस्लाम के नाम पर ये अत्याचार करने वाले कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं।'' अब, ध्यान से पढ़ें कि मेटा ए आई में क्या कहता है। यह कहता है, ''यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस्लाम शांति और न्याय का धर्म है। वास्तविक शिक्षा शांति, सहयोग और सम्मान की है।'' एक और चौंकाने वाला खुलासा पढ़िए, जब मैंने मशहूर ए आई ग्रोक से यही सवाल पूछा कि क्या इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, इस पर ग्रोक ने क्या जवाब दिया, ग्रोक का जवाब था नहीं, इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो शांति, सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देता है। कुरआन और हदीस बार-बार शांति, धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, कुरआन (माइदाः३२) में कहा गया है कि एक निर्दोष व्यक्ति को मारना पूरी मानवता को मारने के बराबर है, हालाँकि कुछ लोग अपने निजी या राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं और अन्याय को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ये लोग इस्लाम के सच्चे सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, अधिकांश इस्लामी बुद्धिजीवी और समुदाय ऐसे कार्यों की निंदा करते हैं। ऐ आई इस्लाम के बारे में सच्चाई बता रहा है, वास्तव में, यह इस्लाम है, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि इस्लाम केवल शांति और शांति का धर्म है और दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। अब अंत में हम प्रार्थना करते हैं अल्लाह पूरी दुनिया को शांति का पालना बना दे। ❑ ❑ ❑

माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म

मौलाना हकीम मुहम्मद सादिक़ सियालकोटी रह०

''और हुक्म किया तेरे पालनहार ने कि तुम उस अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करना। और मां-बाप के साथ भलाई करना। अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके आगे हूं तक न करना और न उन्हें डांटना। और उनके साथ अदब से बात करना और उनके लिए मेहरबानी से आवभगत का बाजू थामे रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे पालनहार उन पर रहम कर जैसा कि उन्होंने मेरे बचपन में मेरा लालन पालन किया''। (पारा-१५ रूकूआ-३)

यह आयत और इसका अनुवाद आपने पढ़ लिया। इस आयत में व क़ ज़ा रब्बुका का अर्थ है कि तेरे पालनहार ने हुक्म दिया। अल्लाह ताअबुदू इल्लाह इयाहू कि अल्ला के सिवा किसी की (ज़बानी, जिस्मानी और माली) इबादत न करो मतलब यह कि अल्लाह की इबादत की फ़र्ज़ियत और अल्लाह के सिवा की इबादत से मनाही का हुक्म दिया गया है क्योंकि इबादत केवल उसी के लिए हो सकती है जिसने इबादत करने वालों को पैदा किया है और उसे इबादत के क़ाबिल बनाया और वे नेमतें दीं जो किसी ग़ैर अल्लाह के अधिकार व इस्तेमाल में नहीं हैं। जैसे पानी, हवा और खाने पीने की नेमतें खुदा ने ही बिना साझी के पैदा की हैं और वही अकेला इन्सानों को प्रदान करता है जिन पर जीवन का आधार है। सोचें कि यदि अल्लाह तआला पानी ज़मीन में सुखा दे तो कोई भी जीवन बचाने के लिए पानी नहीं ला सकता। अल्लाह के सूखे हुए पानी को जारी नहीं कर सकता। इसी तरह यदि अनाज ज़मीन से न उगाए तो रोज़ी न मिलने की वजह से लोग भूखे मर जाएं और यदि हवा को ख़त्म कर दे तो दो चार मिन्ट के अन्दर ज़मीन के सारे इन्सान मर जाएं। और फिर इन नेमतों के अलावा और अनेकों ऐसी नेमतें हैं जो इन्सानी जीवन के लिए ज़रूरी हैं और उनका पैदा करना केवल एक अल्लाह ही के बस में और अधिकार में हैं तो अल्लाह तआला अकेला इबादत का हक़दार है कि केवल उसी की इबादत की जाए उसके सिवा किसी की न की जाए।

माँ-बाप के साथ भलाई

जिस तरह अल्लाह ने अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है उसी तरह उसने व कज़ा रब्बुका के तहत यह हुक्म भी दिया है कि माँ-बाप के साथ भलाई करो नेकी करो।

कुरआन मजीद में एक दूसरी जगह फरमायाः

शुक्र कर मेरे वास्ते और शुक्र कर अपने माँ-बाप के वास्ते। (पारा-१२, रूकूअ-११)

ज़रा सोचें कि यहां अल्लाह तआला ने अपनी तौहीद के बाद ही माँ-बाप का कहना मानने और उनके साथ भलाई को बयान किया है। इससे माँ-बाप के साथ भलाई करने और उनकी आज्ञा मानने की अहमियत मालूम हुई। सोचिए कितना ऊंचा दर्जा है माँ-बाप का कि अल्लाह ने अपनी इबादत और शुक्र के फौरन बाद मां-बाप के अदब और सम्मान, उनके साथ भलाई और उनका कहा मानने का हुक्म दिया

है।

तो याद रहे कि तौहीद व इबादत के बाद कहा मानना व मां-बाप की सेवा करना ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि इन्सान के वजूद में आने की असल वजह तो अल्लाह की वास्तविक ज़ात है कि उसने उसको पैदा किया और देखने वाली वजह मां-बाप हैं तो अल्लाह तआला इबादत के लायक़ हुआ और उसके बाद मां बाप भलाई, शुक्र सेवा और कहा माने जाने वाले। और इसी बात से यह भी मालूम हुआ कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह मां-बाप का कहना न मानना है और यह बात हदीस में आयी है कि रसूल स० ने फरमायाः

बड़े गुनाह ये हैं शरीक करना साथ अल्लाह के और अवज्ञा करना मां-बाप की। (बुखारी शरीफ)

ज़रा सोचें कि हुज़ूर स० ने मां-बाप की अवज्ञा का अल्लाह के शिर्क के बाद फौरन बाद जिक्र किया है जिस तरह अल्लाह की तौहीद के फौरन बाद मां-बाप की अवज्ञा को बयान फरमायाः

फिर हदीस में आया हैः

जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वह अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। (मिश्कात)

इससे पता चला कि भलाई और नेकी करने वाले का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए और यह बात दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट है कि खुदा की सृष्टि में से किसी की भलाई इतनी नहीं है जितना कि मां-बाप का एहसान औलाद पर होता है फिर औलाद को मां-बाप का इतना शुक्र अदा करना चाहिए। इतना कहा मानना चाहिए कि सारी सृष्टि में से इतनी क़दर और किसी की न करनी चाहिए।

औलाद मां-बाप का एक टुकड़ा होती है। हुज़ूर स० ने फरमायाः हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ि० मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है।

इसी हिसाब से मां-बाप औलाद के साथ बड़ी मुहब्बत व मुरव्वत करते हैं, अपना जीवन औलाद पर छिड़कते हैं। हर तरह की नेकी व भलाई औलाद को पहुंचाते हैं। सारी उम्र उनके लिए कमाते हैं और आखिर में सारी कमाई और जायदाद खुशी खुशी उन्हीं के लिए छोड़ जाते हैं।

तो अल्लाह के इर्शाद के मुताबिक़ कि नेकी के बदले नेकी करो.... औलाद को भी मां-बाप के साथ इतनी नेकी करनी चाहिए कि उतनी और किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सोचें और ध्यान दें कि मां-बाप जो नेकी औलाद के साथ करते हैं क्या कोई और भी ऐसी नेकी करता है? कभी नहीं। तो फिर औलाद को भी मां-बाप की बेमिसाल नेकी, भलाई, मुहब्बत, उपकार और कहा मानना चाहिए। अपनी जान और औलाद और अपना माल मां-बाप पर कुर्बान करना चाहिए। खबरदार! यदि औलाद मां-बाप की सेवा और कहा न मानेगी तो अल्लाह की अवज्ञाकारी और गुनाहगार होकर मरेगी।

मां-बाप के आगे हूं भी न करना अल्लाह जो छिपी बातों को जानता है उसे पता है कि मां-बाप जब तक जवान होते हैं वे औलाद के मोहताज नहीं होते और जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वे औलाद के मोहताज हो जाते हैं इसलिए बुढापे के ज़माने के लिए ख़ास तौर से हुक्म दिया है।

अगर पहुंचे तेरे पास तेरे मां-बाप या दोनों में से एक बुढ़ापे को अर्थात अगर तेरे मां-बाप तेरे सामने बूढ़े हो जाएं दोनों ही या दोनों में से एक मां या बाप तो मत कर उनके आगे हूं।

यहां अल्लाह तआला ने औलाद को ताफीफ से भी रोक दिया है ताफीफ का अर्थ है, हूं कहना और

हूं कहते हैं बुरे कलाम के आखिरी दर्जे को। अर्थात वह मामूली से मामूली बात जो मां-बाप को बुरी लगे।

मतलब यह कि किसी समय भी उनके सामने बुरी लगने वाली बात मत कर यहां तक कि हूं भी न कर अर्थात कोई छोटी से छोटी ऐसी बात भी तेरी ज़बान से न निकले जो मां-बाप को बुरी लगे, उन्हें दुख पहुंचाए, उन्हें उससे घिन आए। खबरदार, मां-बाप के सामने हूं तक न कर। हूं और उफ का अर्थ है- ऐसा निशान जिससे नाराज़ी, ना-पसन्दीदगी और नफरत का पता चलता हो।

मुसलमान भाइयो! अल्लाह तआला हुक्म दे रहा है कि मां-बाप के सामने तुम से कोई ऐसी बात न हो जिससे उनको नफ़रत हो, वे नाराज़ हों, उनकी तबियत पर भारी हो अर्थात कोई ऐसी हरकत ऐसा काम, जो तुम्हारे मां-बाप को नापसन्द हो, न करो।

व ला तन्हर हुमा ''और मां-बाप को मत झिड़को'' अर्थात उनसे कोई कोई काम हो जाए जो तुझे बुरा लगे तो कभी ऐसा शब्द ज़बान से न निकाले कि जिससे झिड़कना और डांटना पाया जाए या डांट डपट का पता चलता हो।

जो नादान अपने मां-बाप पर रोब जमाते हैं, ऊंचा बोलते हैं गरजते हैं और आखें दिखाते हैं वे गुनाह करते हैं अल्लाह के प्रकोप में आते हैं उनहें जल्दी ही तौबा करनी चाहिए और अपनी आदत बदल कर मां-बाप के सामने बड़ी मीठी और अच्छी बातें की जाएं और उनके नापसन्द और बुरे लगने वाले कामों पर बड़ी होशियारी व समझ बूझ और पूरे आदर और दबी ज़बान से, कह व कर देना चाहिए।

और उनके साथ अदब से बात करः उनसे नर्म बात कहो अर्थात अच्छी नेक नर्म बात करो। उनकी ओर आंख न उठाओ, तेज़ नज़र न करो, घूरो नहीं, जब भी मां-बाप से बात करो तो दबी ज़बान से, बड़ी नर्मी और आदर से बात करो।

शरीअत के खिलाफ मामलों में मां-बाप की बात नहीं मानो।

अगर कोई कहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहि० ने अपने बाप को कहा था।

मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं तो क्या यह अच्छी बात के खिलाफ नहीं है? जवाब यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहि० का बाप खुदा का दुश्मन था। हज़रत इब्राहीम अलक्हि० ने केवल अल्लाह की मुहब्बत और सच की रियायत से अपने बाप, खुदा के दुश्मन को खरी खरी सुनायी कि अल्लाह का हक़ हर बात पर पहले है। मां-बाप के बारे में कुरआन में यह हुक्म भी आया है।

और यदि मां-बाप यह कोशिश करें कि तू मेरे साथ शरीक लाए उस चीज़ को जिस का तुझे पता नहीं, तो मत कहा मान उनका। (पारा२१. रूकूअ-११)

और हदीस में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया है।

अल्लाह की नाफरमानी के लिये किसी की फरमांबर्दारी न करो। (मिश्कात शरीफ)

आयत और हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ मां-बाप बल्कि सारी सृष्टि में से किसी की बात भी नहीं माननी चाहिए बल्कि शरीअत के खिलाफ बात का साफ इन्कार कर देना चाहिए कि जनाब मैं आपकी बात मान कर खुदा को नाराज़ नहीं कर सकता।

हां तो मां-बाप की बात मानना भी अच्छे कामों में है अतएव हज़रत मुहम्मद स० ने फरमायाः

आज्ञापालन केवल अच्छे कामों में है अर्थात अच्छे कामों में और शरीअत के जायज़ मामलों के अन्दर मां-बाप और उनके सिवा सब का आज्ञापालन है। कुरआन मजीद में अल्लाह का इर्शाद होता है।

कह ऐ मुहम्मद स० अगर हों मां-बाप तुम्हारे और बेटे तुम्हारे, और भाई तुम्हारे और बीवियां तुम्हारी और कबीला, परिवार तुम्हारा और माल जो कमाया है तुमने और तिजारत जिसके घट जाने से तुम डरते हो (पारा १० रूकूअ९)

इस आयत में अल्लाह ने अत्यन्त निकटतम खून के रिश्ते और माल व दौलत और दुनिया की प्यारी चीज़ें गिन कर फरमाया है कि यदि ये सब कुछ तुमको खुदा और उसूल के हुकम और अल्लाह की राह में जाने से रोकते हों यदि इन प्यारे रिश्तेदारों और दुनिया की प्रिय चीज़ों की मुहब्बत खुदा रसूल की मुहब्बत से ज़्यादा हुई तो फिर तुम खुदा के अज़ाब का इन्तिज़ार करो जो किसी समय भी आकर तुम्हारा खात्मा कर देगा। और अज़ाब से जो खात्मा होगा वह आखिरत में घाटे का सबब होगा। साबित हुआ कि खुदा और रसूल का आज्ञापालन सब पर भारी है जो खुदा का है वह मोमिन और तौहीद को मानने वाले का भी है और जो खुदा का नहीं है वह मोमिन का भी नहीं है। हज़रत शैख साअ्दी रह० ने खूब फरमाया है। हज़ार खवेश कि बेगाना अज़ हद बाशद फिदाए यके तने बेगाना का शना बाशद

अर्थात हज़ार अपना रिश्तेदार जो खुदा से बेगाना (अवज्ञाकारी) हो एक बेगाना गैर रिश्तेदार पर कुरबान जो खुदा का आज्ञाकारी हो। साहाबा रजि० का यह हाल था कि अल्लाह ही के लिए दोस्ती और मुहब्बत करते थे और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी और नफरत करते थे।

तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे,

यह बन्दा दो आलम से ख़फा मेरे लिए है।

काफिर या मुश्रिक मां-बाप

तो जहां मां-बाप का आज्ञा मानने और कहा मानने का हुक्म है, वहां यह भी इर्शाद है कि खुदा और रसूल की अवज्ञा में मां-बाप का आज्ञा पालन नहीं है। हां, अगर किसी के मां-बाप काफिर या मुश्रिक हों तो उनके साथ भी इतना सुलूक ज़रूर करना चाहिए कि उन्हें खिलाएं, पिलाएं और पहनाएं यदि बीमार हों तो उनका इलाज करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जैसा कि खुदा ने फरमायाः और सुलूक कर मां-बाप से दुनिया में अच्छी तरह (पारा २१.रूकूअ ११)

अर्थात मां-बाप का (चाहे काफिर हों या मुश्रिक) साथ दो दुनिया में अच्छी तरह। दस्तूर के मुताबिक़ उनसे अच्छा सुलूक करो।

मां बाप के लिए अच्छी आवभगत, विनम्रता, प्यार और मुहब्बत के साथ उनसे बर्ताव करो। मालूम हुआ कि मां-बाप के लिए आवभगत मुहब्बत फर्ज़ है। कुछ नादान लोग समझते हैं कि मां-बाप को रोटी कपड़ा दो ताकि लोग ताना न दें कि फलां अपने मां-बाप का अवज्ञाकारी है, उनका ख्याल नहीं करता। तो कुछ लोग इसी से बचने के लिए मां-बाप की देखभाल करते हैं। अल्लाह तआला फरमाता है कि मां-बाप की आवभगत, मुहब्बत व प्यार के लिए करो न किसी और उद्देश्य के लिए। जिस तरह तेरे मां-बाप ने मुहब्बत के लिए तेरा लालन पालन किया है और अपनी जान व माल तेरे ऊपर लुटा दी है तू भी उनके साथ प्यार व मुहब्बत की खातिर अच्छा व्यवहार कर।

❑❑❑

ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं

नवास बिन समआन रजियल्लल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्यामत के दिन कुरआन, उसके पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वालों को लाया जायेगा उस वक्त सूरे बकरा और आले इमरान उस के आगे आगे होगी। (मुस्लिम ८०५)

मअ्क़िल बिन यसार रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः फितनों के जमाने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत के समान है। (मुस्लिम २९४८)

अबू अय्यूब अनसारी रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स के लिये यह जाइज नहीं कि अपने किसी भाई से तीन दिन से ज्यादा के लिये मुलाकात छोड़े इस तरह कि जब दोनों का सामना हो जाये तो यह भी मुंह फेर ले और वह भी मुंह फेर ले और उन दोनों में बेहतर वह है जो सलाम में पहल करे। (बुखारी ६०७७ मुस्लिम २५६०)

उमर बिन अबू सलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझ से कहा ऐ लड़के खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो और अपने दायें हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। (बुखारी ५३७६ मुस्लिम २०२२)

अबू बकरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब दो मुसलमान अपनी तलवारों को लेकर आमने सामने मुकाबले पर आ जायें तो दोनों जहन्नमी हैं पूछा गया कि यह तो कातिल था और मकतूल ने क्या किया? फरमाया कि मकतूल भी अपने मुकाबिल को कत्ल करने का इरादा किये हुये था। (बुखारी ७०८३ मुस्लिम २८८८)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः उमरा और हज्जे मबरूर का बदला जन्नत है। (बुखारी-मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जमाही शैतान की तरफ से आती है, इसलिये जब तुम में से किसी को जमाही आये तो अपनी ताकत भर उसे शैतान की तरफ लौटा दे। (बुखारी-मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो

अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुसलमान को जो भी, थकान, बीमारी रंज व गम, तकलीफ पहुचती है यहां तक कि कांटा चुभता है तो अल्लाह इसकी वजह से उसके गुनाहों को मिटा देता है। (बुखारी-मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तुम में से किसी के तौबा कर लेने पर बहुत खुश होता है जैसे तुम में से कोई अपनी गुमशुदा ऊंटनी के पा जाने पर खुश होता है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि ईमान न ले आओ, और उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि एक दूसरे से मुहब्बत न करो। क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ न बताऊं जिसके करने से तुम एक दूसरे से मुहब्बत करने लगो गे? अपने बीच में सलाम को फैलाओ। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः पांचों नमाज़ें और एक जुमा से दूसरे जुमा तक और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक इनके दर्मियान में होने वाले गुनाहों के लिये कफ्फारा हैं शर्त यह है कि कबीरा गुनाहों से बचा जाये। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रमज़ान के बाद सबसे अफज़ल रोज़ा अल्लाह का महीना मुहर्रम का रोज़ा है और फर्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफज़ल नमाज़ रात की नमाज़ है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने हमारे खिलाफ हथियार उठाया तो वह हम में से नहीं है और जिसने हम को धोखा दिया तो वह हम में से नहीं है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब इन्सान मर जाता है तो उसके कर्म का सिलसिला टूट जाता है मगर तीन चीज़ों की वजह से नहीं टूटता हैः सद-क-ए जारिया, वह ज्ञान जिस से फाइदा उठाया जाये और नेक औलाद जो उसके लिये दुआ करे। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम अपने मुर्दों को लाइलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने जान बूझ कर मेरे ऊपर झूठ गढ़ा तो उसका ठिकाना जहन्नम है। (मुस्लिम) अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने नेकी की तरफ बुलाया उसके लिये उसी तरह का बदला है जिसने इस नेकी को अपनाया उनके सवाब से कुछ भी कम नहीं किया जायेगा। और जिसने बुराई की तरफ बुलाया तो उसको उसी जैसा गुनाह मिलेगा जिसने इस बुराई पर अमल किया उनके गुनाहों में से कुछ भी कम नहीं किया जायेगा। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अललाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरे बक़रा पढ़ी जाती है। (मुस्लिम) अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी सुरिक्षत न हो। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः सजदे में बन्दा अपने रब से करीब होता है इस लिये ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स इल्म हासिल करने के लिये चला अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर देगा। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः बेशक अल्लाह क्यामत के दिन कहे गा मेरे जलाल से मुहब्बत करने वाले कहां हैं, उस दिन मैं उनको अपनी छाया में कर लूंगा, उस दिन मेरी छाया के सिवा कोई छाया नहीं होगी। (मुस्लिम) अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब नमाज़ के लिये इक़ामत कही जाये तो फर्ज़ नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं है। (मुस्लिम)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं कि आप ने फरमायाः जिसने हमारे दीन में नई बात ईजाद की जो उस से न हो तो वह मरदूद है। (बुखारी-मुस्लिम)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं आप ने फरमायाः अल्लाह के नजदीक सबसे ज़्यादा महबूब आमाल वह हैं जिनको बराबर किया जाये अगर्चे कम हों। (बुखारी-मुस्लिम)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं आपने फरमायाः जिस शख्स ने अल्लाह की फरमाबरदारी के लिये नज़र मानी तो चाहिये कि वह उस की फरमाबरदारी करे और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की नज़र मानी तो वह अल्लाह की नाफरमानी न करे। (बुखारी)

इस्लाम का सुधारात्मक ढंग

डा० मुक़तदा हसन अज़हरी

अनेकता से सम्बन्धित कुरआन का आदेश

अनेकता से सम्बन्धित कुरआन की सूरः निसा की निम्नलिखित दो आयतों में वर्णन हैः

अर्थः ''और यदि यतीमों (अनाथों) के पक्ष में न्याय न करने का भय हो तो उनसे निकाह न किया करो अपितु अन्य महिलाओं से निकाह किया करो जो तुम्हारे लिये वैध है, चाहे एक से, दो से, तीन से या चार से। यदि तुम अन्याय से डरते हो तो एक ही से कर लो या दासी पर निर्भर रहो, यह अन्याय से बचने का अच्छा साधन है। (सूरे निसा आयत ३)

दूसरी आयत का अनुवाद निम्नलिखित है-

अर्थः और पत्नियों में समानता तुम कदापि न कर सकोगे, यदि तुम इच्छा भी करो। ऐसा न हो कि एक ही ओर झुक जाओ तथा अन्य को छोड़ दो, और यदि आपस में सहमति से रहोगे एवं अत्याचार न करोगे तो अल्लह बड़ा ही क्षमा करने वाला दयावान है। (सूरे निसा आयत १२१)

१. प्रथम आयत से यह प्रमाणित होता है कि एक व्यक्ति एक समय में ४ पत्नियों को अपने निकाह में रख सकता है। सर्वसम्मति से इमामों का यही निर्णय है। जो लोग यह समझते हैं कि उक्त आयत में चार पत्नियों से अधिक की अनुमति सिद्ध होती है, उन्हें कुरआन करीम का तत्वपूर्ण ज्ञान तथा अरबी भाषा की शैली का अनुमान नहीं।

२. अनेकता के लिए पत्नियों के मध्य न्याय की शर्त है। यदि कोई व्यक्ति न्याय की क्षमता न रखता हो तो उसके लिए एक से अधिक शादी उचित न होगी। परन्तु यदि वह एक से अधिक महिलाओं से शादी करेगा तो निकाह उचित एवं वैध होगा यद्यपि न्याय न करने पर वह पाप का पात्र होगा।

आयत में जो न्याय का आदेश है उससे अभिप्राय यह है कि रहने, खाने-पीने तथा रात बिताने आदि के मामलात में पत्नियों के मध्य समानता तथा न्याय से काम ले।

३. प्रथम आयत में दूसरी पत्नी तथा उसकी सन्तान के भरण पोषण की योग्ता की शर्त है।

४. दूसरी आयत से यह समझा जाता है कि पत्नियों से प्रेम के मामले में न्याय असम्भव है, परन्तु पुरूष के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी पत्नियों में किसी एक को अधिक प्रिय न रखे तथा अन्य को छोड़ दे जहाँ तक सम्भव हो सभी के मध्य समानता का व्यवहार करे। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि ऐ अल्लाह मैं अपनी शक्ति तथा क्षमता भर अपनी पत्नियों के बीच न्याय करता हूं, परन्तु जो न्याय मेरे अधिकार क्षेत्र से परे है उसमें मेरी पकड़ न कीजिये। (औनुल माबूद १७२/६) हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा की ओर आप का हार्दिक झुकाव अधिक था इसलिये आप यह दुआ किया करते थे।

इस्लाम का सुधारात्मक ढंग

जैसा कि उक्त पंक्तियों में हम बता चुके हैं कि इस्लाम से पूर्व

अनेक पत्नियों के रखने का प्रचलन तथा परम्परा सभी जातियों तथा ध र्मों में प्रचलित थी, परन्तु उनके यहां इसकी कोई संख्या या सीमा निश्चित नहीं थी। इस्लाम ने इस विषय में जो प्रथम सुधारात्मक कदम उठाया उसके अन्तर्गत ४ पत्नियों का प्रतिबन्ध लगा दिया तथा यह आदेश दिया कि एक समय में ४ से अधिक पत्नियों को अपने निकाह में नही रखा जा सकता।

इसके उपरान्त इस्लाम ने अनेकता की स्थिति में समानता तथा न्याय करने का कड़ाई के साथ आदेश दिया। इस सम्बन्ध में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जो उच्चतम व्यवहार के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं वे अनुकरणीय तथा पत्नियों के मध य न्याय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हैं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी पत्नियों के पक्ष में जो क्रम (बारी) निश्चित किया था वह जीवन के अन्तिम क्षणों तक कायम रहा। जब आप स० को चलने की शक्ति न रही उस समय भी आप स० दूसरों के सहारे क्रमानुसार पत्नियों के यहां जाते थे। जब स्थिति अति चिंताजनक तथा रोग गम्भीर हो गया तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी अन्य पत्नियों से हज़रत आईशा रज़ियल्लाहो अन्हा के यहां रहने की अनुमति मांगी। उनकी अनुमति के पश्चात आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा के यहां रहने लगे तथा कुछ ही दिनों बाद आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने संसार को त्याग दिया।

इस्लाम ने इस सम्बन्ध में मानवीय आत्मा को भी जागृत किया है तथा पति में ईश्वर का भय एवं पुण्य के प्रति रूचि का ऐसा प्रबन्ध किया है कि वह किसी भी समय पत्नियों पर अत्याचार या ज़्यादती करने का साहस नहीं करेगा तथा अधिकारों का निर्वाह करने में कभी भी कोई गलती या असावधानी नहीं करेगा।

यदि मनुष्य की आत्मा जागृत हो तथा उसमें यह भावना उत्पन्न हो जाये कि अल्लाह के यहां मुझे जवाब देना है तो ऐसी स्थिति में अनेकता से जो बहुत सी त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है वह अवश्य ही समाप्त होंगी तथा जिन आवश्यकताओं के अन्तर्गत यह अनुमति दी गई है वह पूरी होंगी।

अनेकता (बहुपत्नी) का नैतिक पहलू

प्रायः बहुपत्नी पर बहस करने वाले आपत्तिकर्ता इसके नैतिक पहलू की अपेक्षा करते हैं। बहुपत्नी की अनुमति से महिलाओं की दयनीयता का वर्णन तो अवश्य करते हैं, परन्तु अनेकता को अधार्मिक घोषित करने के पश्चात समाज पर जो कुप्रभाव पड़ता है उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो बहुपत्नी की इस्लामी व्यवस्था, उच्चतम चरित्र का प्रतीक तथा समाज की पवित्रता का श्रेष्ठ साधन है। इस व्यवस्था में मनुष्य को यह अनुमति नहीं है कि वह जब चाहे जितनी महिलाओं से सम्बन्ध स्थापित कर ले, अपितु इसकी पाबन्दी होती है कि प्रथम पत्नी के अतिरिक्त केवल तीन महिलाओं से ही निकाह कर सकता है। इसके लिए यह भी अनिवार्य है कि नियमतः निकाह हो तथा उन महिलाओं के अभिभावक पूर्णरूप से सहमत हों।

उक्त नैतिक पहलू के अतिरिक्त इस व्यवस्था का मानवीय पहलू यह

भी है कि एक व्यक्ति पति से वंचित स्त्री से विवाह कर समाज के एक बोझ को हलका कर देता है तथा एक असहाय स्त्री को स्थाई रूप से सहारा मिल जाता है, इसी प्रकार महर भी अदा करके सहानुभूति तथा दया का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अनेकता की स्थिति में पुरूष, स्त्री को गर्भ तथा जन्म के समय पूरी-पूरी सुविधा पहुंचाने का प्रयास करता है।

परन्तु अवैध सम्बन्ध की स्थिति में पुरूष कामवासना के पश्चात स्त्री से अलग हो जाता है तथा उसे अकेले सारे कष्टों एवं अपमानों को झेलने के लिए छोड़ देता है और स्त्री अकेली इस अपमान का सामना करती है। अनेकता की स्थिति में पुरूष अपनी सन्तान का जिम्मेदार होता है तथा यही सन्तान आगे चलकर समाज के कल्याण का साधन बनता है।

अनेकता की व्यवस्था में मनुष्य को सीमित रूप से अपनी कामुक इच्छाओं को पूर्ण करने का अवसर अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु उसकी अपेक्षा उसपर अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियों का बोझा पड़ता है जिसका निर्वाह उसके लिये आवश्यक है।

इसकी अपेक्षा यूरोपीय समाज में अनेकता का जो रूप प्रचलित है, उसे देखने पर अनुमान होता है कि वहां पर पत्नियों की अपेक्षा मित्र के रूप में स्त्रियां होती हैं, जिनके साथ न तो कानूनी रूप से पुरूष का विवाह हो सकता है और न ही परिवार के लोगों को पुरूष-स्त्री के सम्बन्धों की जानकारी होती है। यौनिक सम्बन्धों के उपरान्त पुरूष पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती।

वह स्त्री का मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा लूट कर उसे अकेले, अपमान तथा दुःखों एवं कष्टों का सामना करने के लिए छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में पुरूष पर यह भी जिम्मेदारी नहींहोती कि उसके अवैध सम्बन्धों से जो सन्तान उत्पन्न हुई है उसे वह अपनी सन्तान स्वीकार करे।

अब यह बात विचारणीय है कि अनेकता की दोनों स्थितियों में कौन सी स्थिति चरित्र की सुरक्षा तथा वासना की भावना को दबाने की जिम्मेदार है तथा किसमें महिलाओं के सम्मान तथा मानवता के हितों का पहलू अधिक पाया जाता है।

❑❑❑

(प्रेस रिलीज़)

जुलहिज्जा १४४६ का चाँद नज़र आ गया

दिल्ली, २८ मई २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ जुलकादा १४४६ हिजरी अर्थात २८ जून २०२५ बुधवार को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और जुलहिज्जा के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक २९ मई २०२५ को जुल हिज्जा की पहली तारीख होगी और ७ जून २०२५ को ईदुल अज़हा मनाई जाएगी।

उर्दू भाषा के प्रति प्रेम और लगाव का व्यवहारिक इजहार भी होना चाहिए

नौशाद अहमद, गाज़ियाबाद

उर्दू भाषा को एक विशेष समुदाय से जोड़ने की प्रक्रिया अभी तक जारी है। कुछ लोग उर्दू अखबारों, पत्रिकाओं को कई तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञापन पाना आसान नहीं रह गया है। सबसे दुखद और चिंताजनक बात यह है कि शर्तें और तमाम दस्तावेज मुहैया कराने के बावजूद उर्दू अखबार विज्ञापनों से वंचित हैं। जबकि उर्दू अखबार सलाह देने और सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सामने लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में उर्दू को लेकर इतनी नकारात्मकता भर गयी है कि अगर कोई उर्दू वाक्य या कोई उर्दू विज्ञापन प्रमुख स्थान पर दिख जाए तो वे उसके खिलाफ कोर्ट भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र में नगर पालिका भवन पर मराठी के साथ उर्दू लिखे होर्डिंग के मामले में उर्दू के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए काफी उत्साहजनक और शिक्षाप्रद है और यह उन लोगों को करारा जवाब है जो उर्दू को एक विशेष समुदाय और धर्म से जोड़कर उसे दूसरे देश की भाषा कह रहे थे। इस फैसले की रोशनी में हमें खुद का जायजा लेने की जरूरत है कि क्या हम उर्दू के प्रचार और अस्तित्व के लिए जरूरी प्रयास कर रहे हैं। अगर हम तमाम आंकड़ों और उर्दू पाठकों की घटती संख्या के संदर्भ में बात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम उर्दू के प्रचार और अस्तित्व के लिए पर्याप्त और योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उर्दू आज इस दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। जिस भाषा के प्रेमी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधनमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फ़िराक गोरखपुरी, चकबस्त, अनुराधा पेडवाल, गोपीचंद नारंग आदि थे। आज कुछ लोग इसी उर्दू को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वही लोग सीरियल और फिल्मों में उर्दू संवादों की सराहना करते हैं। उर्दू के एक महान स्कालर ने बताया था कि कि भारत में उर्दू की दशा फारसी जैसा नहीं होगी, शर्त यह है कि हम प्राथमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण उर्दू शिक्षा को सुनिश्चित करें। उर्दू के अस्तित्व और विकास की जिम्मेदारी अब हम लोगों पर है।

दस साल पहले इस लेखक ने उर्दू मुद्दों से जुड़े एक कार्यक्रम में एक मज़मून पेश किया था जिसमें उर्दू के अस्तित्व, विकास और संवध र्न के लिए १८ बिंदुओं को शामिल किया था, लेकिन अंग्रेजी माध्यम ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि मुझे लगता है कि उर्दू भाषा से जुड़े लोग और उर्दू को अपनी आजीविका बनाने वाले लोग भी इन बिंदुओं पर उर्दू अकादमियों और संस्थानों के निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उर्दू के अस्तित्व और संरक्षण के लिए उर्दू बुद्धिजीवियों और उर्दू प्रेमियों को खुद ही प्रभावी कदम

उठाने होंगे। संस्थाओं ने उर्दू अखबारों में विज्ञापन बंद करके उन्हें और भी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है, जो और भी निराशाजनक है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक जीवित समुदाय की निशानी है और इसका मतलब यह भी है कि हम आगे बढ़ने के लिए संवेदनशील और चिंतित हैं। अतीत में हुई सभी असफलताओं और कमियों से सीख लेकर उर्दू भाषा के अस्तित्व और प्रसार को बढ़ावा देने में सक्रिय होने की जरूरत है। यह भाषा किसी खास समुदाय अथवा वर्ग तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमें इसे दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। दूसरों को उर्दू सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ प्रांतों में उर्दू अकादमियां, उर्दू पढ़ाने का काम कर रही हैं। उर्दू सीखने के इच्छुक गैर-मुस्लिमों का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीख लेना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ गलतफहमियों को दूर किया है और कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी बताए हैं तथा आए दिन लगाए जाने वाले आरोपों को खारिज किया है। सवाल यह है कि उर्दू को उसका उचित स्थान दिलाने और उसके प्रचार-प्रसार तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उर्दू को जिंदा रखने के लिए केवल सरकारी प्रोत्साहनों पर निर्भर रह सकते हैं? आज उर्दू अखबारों में विज्ञापन नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें भी अपने अंदर उर्दू अखबारों और पत्रिकाओं की मदद करने का जज्बा पैदा करने की जरूरत है। हमें खास तौर पर कारोबारियों विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास हर चीज के लिए बजट होता है। जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम खाने-पीने, अच्छी क्वालिटी के टेंट और दूसरी सजावट का इंतजाम करते हैं। लेकिन जब उर्दू अखबारों, पत्रिकाओं के मालिकों को प्रोत्साहित करने की बात आती है तो तरह-तरह के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे तर्क देकर हम उर्दू को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी से बच सकते हैं? उर्दू अखबारों के प्रति इतनी उदासीनता है कि उर्दू भाषी वर्ग भी धारावाहिक, फिल्म और गाने सुनने के लिए हर महीने अपने टीवी और मोबाइल फोन रिचार्ज करता है, लेकिन महज दो से पांच रुपये में बिकने वाले उर्दू अखबार नहीं खरीदता। इस तरह से देखें तो हम जाने-अनजाने में उर्दू भाषा को पतन की ओर ले जाने में शामिल हैं। क्या हम इस व्यवहार को बदल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत खुशी जाहिर की गई, लेकिन क्या हमने इस फैसले के बाद उर्दू के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए कोई योजना या पहल की है? हमारी खुशी महज खुशी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका व्यावहारिक इजहार भी होना चाहिए। खासकर, उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित केन्द्र, संस्थाओं के पदाधिकारियों से मिल जुल कर उर्दू बुद्धिजीवियों और प्रेमियों को योजनाबद्ध तरीके से उर्दू भाषा को आगे बढ़ाना और विकसित करना चाहिए, अन्यथा इस्लामियात की अधिकांश किताबें, साहित्यिक किताबें और विश्वसनीय ऐतिहासिक किताबें नई पीढ़ी के लिए बेकार और अनुपयोगी हो जाएंगी।

❑❑❑

(जमाअती ख़बरें)

मर्कज़ी जमीअत के अध्यक्ष महोदय का शैक्षिक एवं समाज सुधारक प्रोग्राम में शिर्कत और संगठनात्मक दौरे

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने ११ मई २०२५ को मदर्सा इस्लामिया राघो नगर मधुबनी के द्वारा आयोजित इलमी सेमीनार में शिर्कत, खिताब और जमाअती मित्रों से दावत व तब्लीग, और शिक्षा से संबन्धित समस्याओं पर विचार विमर्श किया।

❑ २४ मई २०२५ को राधना इनायत पुर खटोर मेरठ में आयोजित समाज सुधारक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की कामयाबी शरई अहकाम की पाबन्दी में है। इस इजलास से मर्कज़ी जमीअत के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने भी खिताब किया।

❑ मर्कज़ी जमीअत के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने मदर्सतुल मुस्लिमीन एस आई डी माडल एकेडमी टियाला हापूड़ के द्वारा अम्न व शान्ति और भाई चारा के शीषर्क पर आयोजित एक भव्य समारोह से मदर्सा के ग्राउंड में १५ मई को सदारत और खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम अपने मानने वालों को अम्न व शान्ति के साथ रहने की शिक्षा देताहै और मुसलमान इस शिक्षा का पालन करते हैं।

❑ स्थानीय जमीअत अहले हदीस आज़ाद नगर के द्वारा और जिलई जमीअत अहले हदीस सियोनी की निगरानी में २७ मई को कानीवाड़ा मण्डला रोड सियोनी में मर्कज़ी जमीअत के अमीर की अध्यक्षता में मानव सम्मान कांफ्रेन्स हुई जिससे संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस्लाम ने इन्सान तो इन्सान जानवरों के अधिकारों का भी ख्याल रखने का आदेश दिया है। मानवता का तक़ाज़ा यह है कि हर इन्सान एक दूसरे के जान व माल, इज्ज़त की हिफाज़त करे, एक दूसरे का दिल न दुखाए। इस कांफ्रेन्स की निजामत मौलाना अब्दुल हक़ उमरी ने की।

❑ अध्यक्ष महोदय ने ४ फरवरी २०२५ को मदर्सा इस्लामिया सलफिया मोयरा कोसी में एक भव्य कांन्फ्रेन्स की अध्यक्षता और खिताब किया।

❑ ११-१२ फरवरी को अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दीनाजपुर के एक समारोह में अध्यक्षता और खिताब किया और अनेक मदर्सों का निरीक्षण और विभिन्न मस्जिदों में दर्स दिया।

❑ १२ फरवरी २०२५ को अध्यक्ष महोदय ने खारी गोपाल पुर में आयोजित जिलई जमीअत अहले हदीस उत्तर दीनाजपुर के प्रोग्राम में शिर्कत की।

❑ ११ अप्रैल २०२५ को अल बिर एजूकेश्नल एण्ड वेलफियर सूसाइटी मुंबई के द्वारा पैगम्बर पुर दरभंगा में आयोजित शिक्षा जागरूका कान्फ्रेन्स की सदारत और खिताब किया और हिफ्ज़ पलस कुरआन एकेडमी का दौरा किया।

❑ १२ अप्रैल २०२५ को पूर्वी चंपारन के सिसवा में एक

दिवसीय समाज सुधारक समारोह में अध्यक्षता और खिताब किया और वाट गंज की विभिन्न मस्जिदों में खिताब के दौरान अम्न व शान्ति और भाई चारा पर जोर दिया।

❑ २६ अप्रैल २०२५ को जामिअतुल फलाह हैदराबाद के सनद की तक़सीम समारोह में प्रोग्राम के सदर की हैसियत से शिर्कत और खिताब किया।

❑ ६ मई २०२५ को फूल पुर बिस्कोहर बलरामपुर में आयोजित कांफ्रेन्स की अध्यक्षता की।

❑ अमीर महोदय ने राबता आलमे इस्लामी के द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण दीनी व इल्मी प्रोग्राम में शिर्कत की और मक़ाला पेश किया।

❑ अध्यक्ष महोदय ने २७ फरवरी २०२५ को राबता आलमे इस्लामी मक्का मुकर्रमा और कमबोडिया के सहयोग से कमबोडिया की राजधानी में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम में शिर्कत की और मक़ाला (निबन्ध) पढ़ा। इसके अलावा विभिन्न मिल्ली समाजी और कल्याणकारी मीटिंगों में शिर्कत की। (जरीदा तर्जुमान १-१५ जून २०२५)

❑❑❑

मानवत का सम्मान और विश्व-धर्म

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी (दूसरी क़िस्त)

इस्लाम की हुज्जत कैसे पूरी हुई इन सब मामलों पर संजीदगी से ग़ौर करने की ज़रूरत है।

जंग की तबाहकारियाँः

राष्ट्रीय एकता और आपसी भाई चारा को साधारण करें, मसलकी झगड़े बन्द करें, धार्मिक लड़ाई और नफ़रत को दफन कर दें, भाई-भाई बन कर एक दूसरे के दुख दर्द का सहारा बनें। जंग जो मानवता के लिये सबसे मनहूस व घातक चीज़ है इससे बचें क्योंकि इसकी बर्बादियाँ, फ़सादात और तबाहकारियाँ असीमित हैं। पवित्र कुरआन में जंगों का जो दर्शन बताया गया है उसे ज़ेहन व दिमाग़ में रखें। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को अपमानित कर देते हैं और यह लोग भी ऐसा ही करेंगे।'' (सूरे नम्लः३४)

ग़ज़्ज़ा एक तरह से इस वक़्त यक्तरफा जंग और जुल्म व बर्बादी की अजीब भयानक कहानी दूसरी ''होलो कास्ट'' बनती जा रही है इसे बन्द करने में अपनी हिस्सेदारी और दुआ का हक़ अदा करें और यूक्रेन समेत पूरी दुनिया और घर-घर के सर्द व ग़र्म जंग के खातमे के लिये कोशिश करें कम से कम शोरिश (उपद्रव) बरपा न करें और हर जगह टकराव की स्थिति न पैदा करके हैसियत के मुताबिक गंभीर प्रयास, उपाय और दुआ हमारा कर्तव्य है, अपने हिस्से का फर्ज़ अदा करें हर्गिज़ न उलझें।

प्रदर्शनः इस ऐतिहासिक अवसर पर इस जिम्मेदार स्टेज से और जिम्मेदार श्रोताओं के सामने एक बात की बड़ी शिददत से और ज़ोर देकर एक बार फिर स्पष्ट करना ज़रूरी समझता हूँ कि अहले हदीस जमाअत की दावत और विचार धारा उम्मत के सलफ़ की सोच एवं विचारों की रोशनी में कुरआन व हदीस की बुनियाद पर आधारित है और हम अम्न व शान्ति भाई चारा में यक़ीन रखते हैं। किसी भी तरह के कट्टरवाद और उत्तेजना इस जमाअत की आत्मा और स्वभाव के विपरीत है। इस जमाअत का स्वभाव प्रदर्शन को नापसन्द करता है।

(अनुवादः नौशाद अहमद)

(प्रेस रिलीज़)

देश प्रेम और मानव-सम्मान को बढ़ावा देने में इमामों और प्रचारकों की भूमिका महत्व है:

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी का १५वें आल इंडिया रेफ्रेशर कोर्स के अन्तिम सत्र से संबोधन

इमाम, प्रचारक, एवं शिक्षक देश व समाज के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं उनके द्वारा देश, समुदाय का भविष्य परवान चढ़ता है और वह अपने दम क़दम से अम्न व शान्ति, सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना, देश प्रेम, एकता और आतंक व भय से मुक्त माहौल के गठन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं शर्त यह है कि इन इमामों, प्रचारकों और शिक्षकों को सहीह ढंग से प्रशिक्षण दिया जाये। इन ख्यालात का इज़हार मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी ने मर्कज़ी जमीअत के द्वारा आयोजित १५ वें आल इंडिया रेफ्रेशर कोर्स के अंतिम समारोह से संबोधित करते हुए १० मई को अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला में किया।

अध्यक्ष महोदय ने तमाम मेहमानों, कार्य समीति के सदस्यों, मिल्ली संगठनों के पदधारियों, सूबाई जमीअतों के जिम्मेदारान, इस में शरीक होने वाले सभी मेहमानों और अवाम का शुक्रिया अदा किया।

इस अंतिम सत्र से मर्कज़ी जमलअत अहले हदीस हिन्द के उप महा सचिव मौलाना रियाज़ अहमद सलफी, शैख बदर अल अन्ज़ी सऊदी दूतावास दिल्ली, शाह वलीउल्लाह इन्सटीटियूट के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती अताउर्रहमान कासिमी, आल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के पूर्व अध्यक्ष नवेद हामिद, जमाअत इस्लामी हिन्द के नायब अमीर मौलाना वलीउल्लाह सईदी, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के संरक्षक डा० अब्दुर्रहमान फरेवाई, जरीदा तर्जुमान के एडीटर मौलाना मुहम्मद खुर्शीद आलम मदनी, सूबाई जमीअत अहले हदीस हिन्द के पूर्व अमीर हाफिज़ शकील अहमद मेरठी, कोर्स में भाग लेने वाले सभी मेहमानों के प्रतिनिधि मौलाना अब्दुल्लाह असरी, डा० सैयद मुहम्मद फारूक चियरमैन, हिमालय डग्र्स, ने इस अंतिम सत्र से खिताब किया।

इस अंतिम सत्र में ३५वीं कांफ्रेन्स के अवसर पर जिन महत्वपूर्ण हस्तियों को एवार्ड देने का एलान किया गया था, इस सत्र में दो अहम हस्तियों डा० अब्दुर्रहमान फरेवाई और मौलाना मुजतबा सलफी को एवार्ड दिया गया और कोर्स में शरीक होने वालों को सनद बैग और किताबें दी गईं। (जरीदा तर्जुमान १६-३१ मई २०२५)

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

JUNE 2025
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI

9899152690@ptaxis

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पता:-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28

28